शुक्राचार्य की दण्डनीति

डा. पूनम कुमारी
अखाडाघाट मुजफ्फरपुर. (बिहार)

मानव इस सृष्टि का सवोत्तम जीव है।शास्त्र अनुसार धर्मएअर्थएकाम और मोक्ष इस जीवन के मूलाधार हैं।सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य समाज का अभिन्न अंग है।सुसमाज से सुराष्ट्र का निर्माण होता है।परन्तु स्वार्थी जीव होने के कारण कोई व्यक्ति स्वार्थ में अंधा होकर अपने कर्तव्यों और अधिकारों को भूलकर अपने उद्दश्यों की प्राप्ति हेतु कर्म करता है तो वहीं से अपराध उतपन्न होता है। व्यक्ति के जिस कार्य से समाज को क्षति पहुचे उस कार्य को अपराध कहा जाता है।दूसरे शब्दों में सामाजिक नियम के विपरीत जाना या काम करना अपराध है।

अपराध और पाप में अंतर है पाप के लिये प्राश्चित किया जाता है जबकि अपराध के लिये दंड का प्रावधान है।अपराध एक सामाजिक समस्या है। आज चारो ओर अपराध का बोलवाला है आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी अपराध के पावँ जमने लगे है। आज राजनीति क्षेत्र में अपराध की वृद्धि हो रही है लोग जैसे तैसे राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं।आज संसद हो या प्रान्त का विधानमंडल स्वत्र अराजकता उतपन्न होने लगी है।

अपराध रूपी सुरषा आर्थिक क्षेत्र को भी प्रभावित कर चुकी है।अपराधी बैंक या सरकारी प्रतिस्थानो को लूट रहे है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि बड़े बड़े पदाधिकारी कोषागार से राशि गबन करने में कुशलता दिख रहे है।शिक्षा के क्षेत्र में भी अपराधियों की संख्या अधिक हो गयी है।स्थिति यह है कि यदि आप अपने कर्तव्य का पालन सही रूप से करना चाहते है तो असामाजिक तत्वों की गोली का निशाना बनना स्वीकार करना होगा।शिक्षकएछात्रएअभिभावकएकर्मचारीए पदाधिकारीए तथा सरकार की दोषपूर्ण शिक्षा नीति के कारण विद्या के क्षेत्र में भी अपराधीकरण देखने को मिल रहा है।अपहरणएमार-काट आदि घटनाएं आम हो गयी है जो कि विचारणीय है परंतु बिना किसी कारण का कोई कार्य नही हो सकता यह नियम भी है।परन्तु बिना किसी कारण के कोई काम नही हो सकता यह नियम भी है।आज का समाज भौतिक सुखों को प्राप्त करने हेतु पागल हो रहा है।प्रजातन्त्र में दण्ड विधान की व्यवस्था इतनी दूषित हो गयी है कि अपराधी को अपराध के अनुरूप समय पर दंड नही मिलता है।महाभारत के रचयिता वेदव्यास कालिदास आचार्य शुकराचार्यएआचार्य मनुएयाज्ञवल्क्य आदि अनेक विद्वानों ने दंड की चर्चा करते हुए सम्यक दंड को स्वीकार किया है।परन्तु मेरे अनुसार शुक्र की दंड नीति सरवोपरि है।नीति शब्द की व्यख्या करते हुए कहा गया है "नयनात नीतिरुच्यते"।।

राजनीतिएधर्मनीतिएपौराणिक नीतिएविद्यानीतिएआधुनिकनीतिएअर्थनीतिए आदि अनेक विषय नीतिशास्त्र के अंतर्गत आते है।परंतु आचार्य शुक्र के अनुसार दंड नीति ही सरवोपरि है।मत्स्य पुराण में कहा गया है--

दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति ।
दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्म विदुर्बुधाः ॥२॥

शुक्राचार्य के अनुसार दण्ड सर्वोतम विद्या है जिसके बिना किसी विद्या की सुरक्षा नहीं हो सकती है। उन्होंने शुक्रनीति के चतुर्थ अध्याय में राजधर्म का निरूपम करते हुए लिखा है

आज्ञोल्लंघनकारित्वं स्त्रीवधेवर्ण संकरः।

परस्त्रीगमनं चौर्यम् गर्मश्चैव पतिं विना।।

वाक्यारूष्यमवाच्याधं दण्डपारूष्यमेवच।

गर्मस्य पातंन चैवेतयपराधं दशैव तु।।

अर्थात 1. राजाज्ञा का उल्लंघन करना 2. स्त्री की हत्या करना 3. विवाह द्वारा वर्णसंकरता करना 4.परस्त्रीगमन करना 5. चोरी करना 6.पति के अलावा अन्रू पुरूष से गर्म होना 7. कठोर वचन बोलना 8.नहीं कहने योग्य बात कहना 9.कठोर दण्ड देना 10.और गर्भपात करना आदि ये दस प्रकार के अपराध है। इसके अतिरिक्त खेती नष्ट करने वाला, घर में आग लगाने वाला राजद्रोंह कने वाला, राज चिह्न को नष्ट करने वाला, कैदियों का जेल से भगा देने वाला, बिना स्वामी के किसी पदार्थ को बेच देना, किसी को हिस्सा को समाप्त करने वाला, किसी के अंग को काट देना आदि कई विवाद के स्थान है

आचार्य शुक्र ने दण्ड को परिभाषित करते हुए कहा है।

निवृतः असदाचाारत् दमनं दण्डतष्चतत्।

येन संदमयते जन्तुरूपायों दण्ड एवं सः

अर्थात दण्ड द्वारा बुरे आचरण से निवृत और दमन होता है। अतः जिस उपाय से मनुष्य की अच्छी तरह से दमन होता है उसे दण्ड कहते है। यह दण्ड राजा के अधीन माना गया है। दण्ड के बिना समाज में अराजकता उत्पन्न होती है और अन्ततः राष्ट्र का विनाश होन लगता है। अतः दण्ड का सम्यक तथा तत्काल प्रयोग करने से सभी भयभीत होकरअपने–अपने धर्म या आचरण का अनुपालन करने लगते है। दण्ड के भय से प्रजा अपने अपने धर्मो में तत्पर रहती है । क्रुर लोग भी कोमलता धारण करने लगती है । दुष्ट अपनी दुश्टता छोड़ देते है । पशु भी दण्ड के वशीभूत हो जाते हैं। चोर–डाकु भाग जाते हैं तााि आततायी लोग भी डर जाते हैं। अतः राजा के लिए दण्ड का सम्यक प्रयोग करना श्रेयश्कर है दण्ड सहित नीति का व्यवहार करने से राजा के सभी कार्य सिद्ध होते है। क्योंकि धर्मों का परभरक्षक दण्ड को ही माना जाता है

राज्ञा सदण्डनीत्या हि सर्वे सिध्यन्त्युपक्रमाः।

दण्ड एवंहि धर्माणा शरणं परमं स्मृतम् 4–51

नित्य दण्ड देने योग्य व्यक्ति को दण्ड न देने से , नहीं दण्ड देने योग्य व्यक्ति के दण्ड देने, से अपराध से ज्यादा दण्ड देने से तथा अनुचित दण्ड देने से राष्ट्र का विकास नहीं विनाश होता है।

जब राजा अधार्मिक हो तो प्रजा का अधार्मिक होना स्वाभाविक है। प्रजा कें अधार्मिक होने से सर्वत्र अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अपराध की संख्या बढने लगती है। क्योकि दण्ड विधान ढीला और कमजोर हो जाता है। राजा को हदय में कोमलता रखते हुए उपर कठोर बनकर दण्ड देना चाहिए।

यथा–

''अर्न्तमृदुर्वहिः कुरों भूत्वा स्वां दण्डयेत प्रजाम्।

अन्युग्रदण्डकल्पः स्यात् स्वाभावाद्धितकारिणः।। 4–65

आचार्य शुक्र के अनुसार सामान्यतः अपराध चार प्रकार के होते हैं। 1. कायिक 2 वाचिक 3. मानसिक 4. सांसर्गिक । पुनः जानबुझकर होने वाला अपराध तथा अनजान में होनेवाला अपराध की दृष्टि से अपराध के आठ भेद हो गये। पुनः अपराध के दो भेद इस प्रकार हो जाते है। 1. कराया हुआ अपराध अनुमोदन किया हुआ अपराध। इसके बाद अपराध के चार भेद हो जाते है। यथा– 1. एकबार किया हुआ अपराध 2.बार बार किया गया अपराध 3. निरतंर किया हुआ अपराध 4. स्वभावतः किया गया अपराध।

अपराध और दण्ड के समबन्ध में आचार्य शुक्र का कहना है किय यदि उतम पुरूष प्रथम अपराध साधारण रीति से करता है तो उसे धिक्कार दण्ड देना चाहिए। उसके बाद भी अपराध करे तो प्रथम साहस 250 पैसे दण्ड देना चाहिए। किन्तु अपराध की वुद्वि के अनुसार द्विगुण, त्रिगुण दण्ड देना चाहिए।

मध्यम पुरूष यदि अपराध करता है तो प्रथम साहस दण्ड 250 पैसे पुनः करने पर 500 पैसे उसके बाद करने पर बाधॅकर रखना और अन्त में दागकर राज्य से निकाल देने चाहिए।

अधम पुरूष यदि अपराध करता है, तो आधा साहस दण्ड अर्थात 125 पैसे दण्ड, उसके बाद करे तो 750 पैसे और अन्ततः जेल का दण्ड देना चाहिए। अधम पुरूष यदि बार–बार दण्ड करता हे तो उसे प्रारभिक दण्ड के बाद जेल मे बन्द कर देना चाहिए और उसे मल–मुत्र साफ कराने का दण्ड देना चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति अपने धन के गर्व से अपराध करता है तो उसे धन का चौथा भाग दण्ड के रूप में लेना चाहिए। उसके बाद यदि अपराध करता है तो आधा धन ले लेना चाहिए। अपनी स्त्री, पुत्र बहन, छात्र दास, पतोहु, छोटा भाई आदि अपराध करे तो उसे पतली छड़ी से शरीर पर, हाथ या पीठ पर पीटना चाहिए। सिर पर कभी नहीं मारना चाहिए। वेद वचन का अनुसरण करते हुए शुक्राचार्य बधदण्ड की स्वीकृति नहीं देते हैं। वध दण्ड के बदले हथकड़ी बेड़ी के साथ कैद रखना, मारना–पीटना कष्ट पहुॅचाना उचित है। यथा–

'' न निहन्याच्च भुतानित्विति जागर्ति वै श्रुतिः। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन वध्दण्डं त्येजेत् नृप।।4–92

अपराधी के असहाय माता–पिता का दण्ड नहीं देना चाहिए। राजा को अपराध के अनुसार ही दण्ड देना चाहिए। निम्नलिखित अपराधियों को देश से निकाल देने का विधान शुक्राचार्य ने बतलाया है शराबी , धूर्त, चोर, खूनी, वर्ण, तथा आश्रम के आचारों का अपमानित करने वाला, दवी देवताओं की मूर्त्ति तोड़ने वाला, किसी की आजीविका का नष्ट करने वाला, घूस लेनेवाला, राजद्रोही, जालसाजी करने वाला, न्यायकर्त्ता जो पक्षपात करे, उचित गवाही न देनेवाला, माता–पिता–स्त्री से द्रोह करने वाला, पिता–पुत्र की हत्या करने वाली कुलटा स्त्री को राज्य से निष्कासित कर देना चाहिए। यदि कोई शत्रु से मिलकर राजा, मंत्री या राज्य का बध करना चाहे या नाश करना चाहे तो उसे शीघ्रातिशीघ्र वध कर देना चाहिए। यथा–

राज्ञो राष्ट्रस्य विकृति तथा मन्त्रिगणस्यच। इच्छन्ति शत्रुसम्बन्धाधें तान् हन्याद्विद्राड्नृप 4–11

अतः यह सिद्व होता है कि दण्ड अथवा दण्डनीति से नीति और नीति से अभ्युदय होता है इसलिए अभ्युदय को दण्डनीति का भी फल कहा जाता है चाहे मित्र हो या शत्रु अपराध के अनुसार नियमतः दण्ड–भागी होता है । दण्ड वह शक्ति है जिससे सभी लोग अपने कर्त्तव्य का पालन कर पाते है । अतः भारत के शासक वर्ग का दण्ड की महत्ता पर बल देना चाहिए। समुचित दण्ड के प्रयोग से अपराधी अपराध करने से डरेगा। सर्वत्र सुव्यवस्था एवं शान्ति स्थापित होगी। राष्ट्र का चतुर्दिक विकास हो सकेगा। हमारे प्राचीन विद्वानों का मानना है कि दण्ड ही धर्मनीति एवं काम की रक्षा करता है

आज अपराध के अनुरूप दण्ड का विधान नही है। जिसके कारण अपराध उत्तरोतर बढ रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया काफी जटिल और खर्चीली हो गई है। फलस्वरूप अभी समाज का काई भी व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित अनुभव नहीं कर रहा है।

शुक्रनीति

अध्याय 4–29–51

शुक्रनीति 4–72–119

शुक्रनीति 4चंहम 203.221

शु0 प्रस्तावना 12 –23

मत्स्यपुराण– 224–14–15

मत्स्यपुराण– 224–4

महाभारत शन्तिपर्व– 15 / 12

मनुस्मृति 7 / 12